Dr. S. S. Pandey

अल्पसंख्यक विकास नीति एवं विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रयास

नीतिगत / योजनागत प्रयास

विविधता में एकता के आदशों पर आधारित एकीकरण की नीति (Integration Policy) अर्थात् अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखते हुए, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना

इस तरह एकीकरण नीति के तहत,
विभिन्न विकास कार्यक्रमों का निर्माण करके,
अल्पसंख्यक विकास हेतु प्रयास जारी है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

1. अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग की आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1994 में, एक लाभ रहित कंपनी के रूप में स्थापित
2. इसका मुख्य उद्देश्य है:–

अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछडे वगो के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, स्वरोजगार एवं आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराना तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता प्रदान करना

3. इस निगम के तहत संचालित प्रमुख कार्यक्रम निम्न है:-

(i) 'सावधि ऋण योजना'
State Channelising Agencies के माध्यम से, स्वरोजगार हेतु 30 लाख तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

(ii) 'लघु वित्त पोषण योजना'

इसके तहत

NGO के माध्यम से अल्पसंख्यक स्वय सहायता समूह के प्रत्यक सदस्य को, एक लाख रुपय से डेढ़ लाख रुपय तक लघु ऋण उपलब्ध कराना

(iii) 'महिला समृद्धि योजना'

इसके तहत

SHG (स्वय सहायता समूह) में शमिल महिलाओं को 6 माह का व्यासायिक प्रशिक्षण एवं SHG की प्रत्यक महिला सदस्य को, एक लाख का लघु ऋण उपलब्ध कराना

(iv) 'शैक्षिक ऋण योजना'

इसके तहत,

3% ब्याज दर पर 4 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 20 लाख तक का ऋण देश के भीतर पढ़ने हेतु तथा विदेश में पढ़ने हेतु 6 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 30 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना

(v) 'कौशल से कुशलता योजना'

स्वरोजगार (मजदूरी) को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देना

(vi) 'विपणन सहायता योजना'

अल्पसंख्यक व्यक्तियों को, SHG द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करना

अल्पसंख्यक विकास के अन्य कार्यक्रम

- जून 2006 में घोषित एक व्यापक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है-

  ↓

  सरकार की विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचे

प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

- इसका अलग से कोई बजट नहीं और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी योजनाओं से संचालित
- इसके तहत, 11 मंत्रालयों द्वारा संचालित 24 योजनाओं को शामिल किया गया है, (लेकिन वर्तमान में कुछ बंद भी)

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का 4 प्रमुख उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत 15 उपलक्ष्यों को शामिल किया गया है-

1. शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना

- एकीकृत बाल विकास योजना की समुचित उपलब्धता
- विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
- उर्दू शिक्षा हेतु अधिक संसाधन जुटाना
- मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
- अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना

2. आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना

- गरीबों के लिए रोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना
- तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन
- आर्थिक क्रियाकलापों हेतु, ऋण सहायता योजना
- राज्य एवं केंद्र सेवाओं में भर्ती में वृद्धि करना

3. अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना

- ग्रामीण विकास योजना में उचित हिस्सेदारी
- अल्पसंख्यक समुदाय वाली गंदी बस्तियों (स्लम) की स्थिति में सुधार करना

4. सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना

- सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम करना
- सांप्रदायिक दंगों के लिए अभियोजन
- सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास सुविधा

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
(PMJCK - 2018)

एक विशेष क्षेत्र विकास योजना जिसको 2008-09 में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के नाम से शुरू किया गया था

प्रमुख उद्देश्य

पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ अल्पसंख्यक आबादी अधिक है, सामाजिक-आर्थिक एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ, परिसंपत्ति विकसित करना

- कार्यक्रम के अधीन, जिन जिलों में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी है और सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर एवं मूलभूत सुविधाएँ राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिला (MCD) के रूप में चिह्नित करके, उनके विकास पर अधिक बल देना

- वर्तमान में, MCD के स्थान पर, विकास की तीन क्षेत्रीय इकाई का निर्माण-

1. प्रथम क्षेत्रीय इकाई
   अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (MCB)
   25% न्यनतम अल्पसंख्यक आबादी;

2. द्वितीय क्षेत्रीय इकाई
   अल्पसंख्यक बहुल गांव (MCV)
   50% न्यनतम अल्पसंख्यक आबादी;

3. तृतीय क्षेत्रीय इकाई
   अल्पसंख्यक बहुल शहर (MCC)
   25% न्यनतम अल्पसंख्यक आबादी

- एक केन्द्र प्रायोजित योजना, जिसका वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 60 : 40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्व के लिए 90 : 10 के अनुपात में

- चालू वित्त वर्ष के दौरान, 31/12/2020 तक, मंत्रालय ने कुल 724.11 करोड रुपय की लागत वाली परियोजनाओं और 457.55 करोड रुपय के केन्द्रीय हिस्से को मंजूरी दी है

सीखो और कमाओ योजना
Learn & Earn

2013-14 से अल्पसंख्यक यवाओं (14-35 वर्ष) के कौशल विकास हेतु संचालित योजना, जिसका 100% अनुदान केंद्र सरकार के पास

उद्देश्य

1. अल्पसंख्यकों को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए तैयार कर उनकी बेरोजगारी कम करना
2. अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कौशल का संरक्षण, उन्नयन तथा उनको बाजार के साथ जोड़ना

3. मौजूदा कर्मियों के, रोजगारपरकता को बेहतर बनाना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी लाना
4. हासिय पर रह रहे अल्पसंख्यकों को, आजीविका के बेहतर साधन को उपलब्ध कराना, जिनसे वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके
5. बढ़ते बाजार के अवसर का लाभ उठाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करके सक्षम बनाना
6. 2020-21 के लिए 180 करोड़ का बजट का प्रावधान

उस्ताद योजना

Upgrading the Skills and Training in Traditional Art/Crafts for Development (USTTAD)

विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल एवं प्रशिक्षण का उन्नयन

- 14 मई, 2015 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वाराणसी से प्रारंभ
- 100% केंद्र प्रायोजित योजना

उद्देश्य

1. सिद्धहस्त कारीगरों / शिल्पियों का क्षमता निर्माण करना और उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण देना
2. चिह्नित पारंपरिक कलाओं का मानक स्थापित करना एवं उन्हें संरक्षण देना
3. पारंपरिक कौशल का वैश्विक बाजार के साथ, संबंध स्थापित करना
4. मौजूदा कामगारों की रोजगारपरकता, और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों की स्थिति को सुधारना
5. हासिए पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका के साधन एकत्र करना एवं उन्हें मुख्य धारा में लाना
6. बढ़ते बाजार में, अधिक से अधिक बढ़ते अवसरों का लाभ उठाना एवं उन्हें सक्षम बनाना

योजना के संघटक

1. संस्थानों के माध्यम से कौशलों का उन्नयन, तथा पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण
2. अनुसंधान एवं विकास हेतु 'उस्ताद फैलोशीप' ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके
3. पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों का संग्रह करने हेतु, शिल्प संग्रहालय को सहायता
4. अल्पसंख्यक शिल्पकारों एवं कारीगरों को, उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता

ज्ञान भागीदार

1. वस्त्र मंत्रालय
2. संस्कृति मंत्रालय
3. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)
4. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID)
5. भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP)
6. क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषद

नई मंजिल योजना 2015

1. अल्पसंख्यकों हेतु, एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका की पहल
2. 8 अगस्त, 2015 को प्रारंभ की गयी, एक केंद्रीकृत योजना, जिसका 50% वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा
3. 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपय की लागत के साथ अनुमोदित एवं 1 लाख लाभार्थियों को लक्षित
4. 26 राज्यों में, 88 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा, 145 परियोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित

उद्देश्य

गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को, जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र नहीं है, रचनात्मक तौर पर नियोजित कराना और उनको औपचारिक शिक्षा एवं कौशल प्रदान करके, सतत एवं लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करना, इस हेतु-

1. अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवारों के ड्रॉप आऊट बच्चों को, 8 एवं 10 तक की औपचारिक शिक्षा एवं प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना
2. एकीकृत शिक्षा प्रदान करना
3. कम से कम 70% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराना
4. स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना

मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल एकादमी (MANAS) 2014

उद्देश्य

अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार एवं स्वरोजगार देने हेतु, उनकी कौशल उन्नयन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें उन सभी कौशलों में प्रशिक्षण देना, जो वर्तमान व भविष्य में बाजार मांग द्वारा निर्धारित होंगे

मौलाना आजाद शिक्षा फांउडेशन 1989

- समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में, शिक्षा के प्रोन्नति एवं विकास हेतु 1989 में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है

- इसके तहत निम्न योजनाओं को चलाया जा रहा है; जैसे-

1. शैक्षिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु, NGO को सहायता अनुदान योजना
2. अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं को, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - 2003
3. अल्पसंख्यकों हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण/गरीब नवाज रोजगार योजना - 2017
4. नई मंजिल योजना के अंतर्गत मदरसा छात्रों के लिए ब्रिज पाठयक्रम योजना
5. स्वच्छ विद्यालय पहल योजना
6. मौलाना आजाद सेहत योजना

2020-21 के दौरान प्रारंभ नई योजनाएं :

1. स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स योजना
2. मदरसा शिक्षक प्रशिक्षण योजना
3. उस्ताद योजना के तहत 'हुनर हाट' योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

1. मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. 'नया सवेरा योजना'
   - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना
   - 2007 में प्रारंभ एवं 2017 में संशोधित
3. नई उड़ान योजना
   - UPSC, SPSC, SSC आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले एवं 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के अल्पसंख्यक छात्रों हेतु वित्तीय सहायता, क्रमशः 1 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार का प्रावधान
   - 2017 में प्रारंभ 2019 में संशोधित

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना 2009

100% केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना, जिसके अंतर्गत 6 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर शिक्षा हेतु, 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता का प्रावधान

पढ़ो परदेश योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से, पिछड़े वर्ग (6 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के छात्रों हेतु) के छात्रों को विदेश में अध्ययन हेतु, ऋण पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान, ताकि उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके

नालंदा परियोजना

- यह अल्पसंख्यक समूहों द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के कौशल विकास हेतु, एक कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अलीगढ़ विश्वविद्यालय से की गयी

उद्देश्य

- शिक्षण नवाचारों के माध्यम से पेशेवर शैक्षिक विकास को बढ़ावा
- संकाय सदस्यों को नय तरीके सीखने में मदद करना, ताकि संकाय उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सके
- शिक्षा के साथ-साथ समझ विकास को प्रोत्साहित करना
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत प्रभावशीलता को स्थापित करना

नई रोशनी योजना
2012

भारत के गरीब समुदाय की अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास हेतु, 2012-13 में शुरू और वर्तमान में 27 राज्यों में कार्यान्वित

उद्देश्य

1. अल्पसंख्यक महिलाओं को, बैंक एवं अन्य सरकारी संस्थाओं की प्रणाली से अंतःक्रिया हेतु प्रशिक्षित करके, उनमें आत्म विश्वास पैदा करना
2. उनको, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए जागरूक करना
3. सरकारी लाभ के अलावा, बाहय लाभ प्राप्त करने हेतु, उन्हें सेवा सुविधा एवं कौशल प्रशिक्षण देना
4. 2020-21 के दौरान (31/12/2020 तक) 6000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 3.98 करोड रुपया जारी

जियो पारसी योजना
2014

उद्देश्य

वैज्ञानिक नवाचार एवं ढांचागत क्रियाकलापों के माध्यम से, पारसियों की गिरती जनसंख्या को रोकना एवं भारत में उनकी जनसंख्या संतुलन को बनाय रखना

हमारी धरोहर योजना 2015

उद्देश्य

भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के आधीन, भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना

शादी शगुन योजना 2017

उद्देश्य

अल्पसंख्यक महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण करना,

इस हेतु विवाह समारोह के अंत में, दुल्हन को उच्च शिक्षा हेतु 51 हजार का शगुन देने का प्रावधान, ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई (स्नातक) पूरी कर सके

नीतिगत एवं योजनागत प्रयास समीक्षा एवं सुझाव

निश्चित रूप से.....

उपरोक्त विकास योजनाओं के रूप में किए गए प्रयासों से, अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में सुधार हुआ है.....

(उपलब्धियों की चर्चा करे)

परन्तु.....

अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है और भारत का अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी समस्याओं की निरंतरता बनी हुई है.....(सच्चर कमेटी की रिपोर्ट/कमियों/ समस्याओं की चर्चा करें)

मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संदर्भ में, अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के लिए, निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; जैसे-

1. नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में, उनकी आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाना
2. क्रियान्वयन के स्तर पर दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, समन्वयन का अभाव, योजनाओं का राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार फलतः जनसहभागिता का अभाव
3. मुख्यतः मुस्लिमों में, शिक्षा का अभाव, धार्मिक रूढ़िवादिता, गरीबी आदि का होना साथ ही, जनसंख्या वृद्धि का उच्च दर
4. सरकार के पास वित्त अभाव

अतः जरूरत है कुछ सुझावों पर अमल करने की; जैसे-

1. विकास नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण, इनकी आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाय
2. इन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति एवं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाय
3. योजनाओं के राजनीतिकरण पर रोक लगाई जाए
4. इनके विकास में, NGO तथा SHG's जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय
5. आधुनिक शिक्षा के प्रसार द्वारा, इनमें विकास हेतु तथा विकास के लाभ को प्राप्त करने हेतु जागरूकता विकसित करके, विकास की प्रक्रिया में इन्हें सहभागी बनाया जाय
6. इनको शिक्षित एवं जागरूक करके, समान नागरिक संहिता के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाय और उनकी स्वीकृति एवं सहयोग से, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाय